निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1944 (श0)

(सं0 पटना 243) पटना, मंगलवार, 26 अप्रील 2022

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

19 अप्रील 2022

सं० 10/व1–28/2016 न्यू (अंश) 396—बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम संख्या 32, 1982) की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल मदरसों की प्रबंध समिति के गठन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है, जो निम्न है–

1. **प्रस्तावना।**—राज्य सरकार के सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृत मदरसों (अनुदानित) के प्रबंध समिति के गठन हेतु नियमावली बनायी जा रही है।

2. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ ।**

(i) इन नियमों को **''बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022''** कही जायेगी।

(ii) यह पूरे बिहार राज्य में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित मदरसों (मौलवी स्तर तक) तक विस्तारित होगा।

(iii) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में लागू होगा।

3. **परिभाषाएँ– इन नियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो**

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(ii) **'विभाग'** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;

(iii) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981;

(iv) **'अपीलीय प्राधिकार'** से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपील सुनने हेतु अधिकृत पदाधिकारी;

(v) **'निदेशक (प्राच्य)'** से अभिप्रेत है, विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा प्रभारी संस्कृत एवं मदरसा;

(vi) **'जिला के शिक्षा पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी;

(vii) **'बोर्ड'** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1981 के तहत गठित बोर्ड;

(viii) **'अध्यक्ष'** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;

(ix) **'सचिव'** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव;

(x) **'स्थानीय लोगों'** से अभिप्रेत है, उस वार्ड मदरसा के पोषक क्षेत्र (वयस्क) से है, जहाँ मदरसा स्थित है;

(xi) **'मान्यता प्राप्त मदरसा'** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक);

(xii) **'मदरसा'** से अभिप्रेत है, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना;

(xiii) **'हेड मौलवी'** से अभिप्रेत है, गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) के हेड मौलवी जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति विधि सम्मत की गई है;

(xiv) **'सहायक शिक्षक'** से अभिप्रेत है, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों (मौलवी स्तर तक) में नियमानुसार नियुक्त सहायक शिक्षक;

(xv) **'प्रबंध समति'** से अभिप्रेत है, मदरसा प्रबंध समिति जो प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 के तहत गठित की गई हो;

(xvi) **'गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक)'** से अभिप्रेत है :–

(1) गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा तहतानिया स्तर तक (कक्षा पहली से पांचवीं तक)।

(2) गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा वस्तानिया स्तर तक (कक्षा पहली से आठवीं तक)।

(3) गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा फौकानिया स्तर तक (कक्षा पहली से दसवीं तक)।

(4) गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक (कक्षा पहली से बारहवीं तक)।

(xvii) **'प्राच्य भाषा/शिक्षा'** से अभिप्रेत है ।– अरबी, फारसी, हदीस, फिकह, दीनियात, मंतिक–ए–फलसफा, तारिख–ए–इस्लाम आदि;

(xviii) **आधुनिक विषय** से अभिप्रेत है :–

(क) विज्ञान विषय समुह

(ख) कम्प्युटर

(ग) समाज अध्ययन (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि)

4. मदरसा प्रबंध समिति का गठन ।– प्रत्येक गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) के लिए एक प्रबंध समिति का गठन मदरसा के पोषक क्षेत्र के वयस्क निवासियों द्वारा आम सभा बुलाकर किया जाएगा। प्रबंध समिति की संरचना निम्नवत् होगी :–

(i) हेड मौलवी

(ii) सम्बन्धित मदरसा के वरिष्ठ शिक्षकों में से एक जिसे हेड मौलवी द्वारा नामित किया गया हो।

(iii) दो दाता सदस्य जिसमें दोनों भूमि दानदाता हो अथवा उसमे से एक अवश्य भूमि दानदाता तथा दूसरे आर्थिक रूप से न्यूनतम 10,000/– (दस हजार) रूपये या न्यूनतम 10,000/– (दस हजार) रूपये की चल सम्पति यथा आधारभूत संरचना अथवा उपस्कर संबंधित मदरसा को उपलब्ध करावें, दानदाता की श्रेणी में माने जायेंगे। जहाँ दो से अधिक दाता हैं, दाता सदस्यों को प्रत्येक तीन वर्षो में दाता द्वारा अधिकतम दान राशि के अनुसार सबसे पहले रोटेशन के द्वारा चुना जाएगा और यदि दान राशि बराबर या तारीख समान है तो सदस्यों का चयन लॉटरी विधि द्वारा किया जाएगा। जहाँ दाता सदस्य उपलब्ध नहीं है, उस श्रेणी के दाता की उपलब्धता तक पद खाली रहेगा।

दाता/डोनर सदस्य वंशानुगत नहीं होगा, डोनर सदस्य की मृत्यु के बाद, उसके कानूनी उत्तराधिकारी डोनर सदस्य नहीं होगें। यदि वे एक डोनर सदस्य बनना चाहते है, तो उन्हें मदरसे को प्रमाण के साथ दान करना होगा तब वे दाता सूची में शामिल हो सकते हैं। भूमि के मामले में दाता के उत्तराधिकारियों को कानूनी उत्तराधिकारी प्राप्त होगा।

(iv) दो अभिभावक प्रतिनिधि जिनके बच्चे संबंधित मदरसा में न्यूनतम दो वर्षों से अध्ययनरत हों परन्तु वे किसी भी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी, प्रधानाध्यापक एवं हेड मौलवी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के संबंधी न हो।

(V) दो सदस्य जो प्राच्य भाषा (अरबी, फारसी), मदरसा या इस्लामिक अध्ययन में अभिरूचि रखते हों तथा जिनकी न्यूनतम योग्यता फौकानियां या समकक्ष होगी।

(VI) मदरसा बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य जो संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी होंगे।

5. प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का चयन :–

(1) प्रबंध समिति की गठन की तिथि से अधिकतम दो सप्ताह के अंदर हेड मौलवी/हेड मौलवी इंचार्ज मदरसा भवन के प्रांगन में प्रबंध समिति की बैठक आहुत करेगा। उक्त बैठक उपस्थित सदस्यों में से किसी एक के नेतृत्व में होगी, जिसमें प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव का चयन सर्वसम्मति से या अधिकांश मतों के द्वारा किया जायेगा। इस बैठक में न्यूनतम पाँच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। हेड मौलवी और शिक्षक प्रतिनिधि को मदरसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सचिव के रूप में नहीं चुना जायेगा।

(2) हेड मौलवी/हेड मौलवी प्रभारी (वरिष्ठतम शिक्षक) नव गठित प्रबंध समिति और उसके पदाधिकारियों की सूची अनुमोदन हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड भेजेगा। मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त अनुमोदन के प्रस्ताव की प्राप्ति तिथि से 60 (साठ) दिन के अन्दर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा अन्यथा उक्त अवधि के समाप्ति के उपरांत नवगठित प्रबंध समिति का प्रस्ताव अनुमोदित माना जाएगा। प्रबंध समिति अपना सम्पूर्ण कार्य मदरसा बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रारंभ करेगी। मदरसा बोर्ड के अनुमोदन के बिना प्रबंध समिति द्वारा किया गया कार्य अवैध समझा जायेगा।

6. प्रबंध समिति को भंग करने की प्रक्रिया :–

(1) अनुमोदित प्रबंध समिति का कार्यकाल (बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अनुमोदन की तिथि से) तीन वर्षो के लिए होगा। नियमानुसार गठित प्रबंध समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंध समिति को उसके कार्यकाल के पहले भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त नये प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा।

(2) यदि मदरसा के प्रबंध समिति नियमों के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करती है या सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है और स्थानीय लोगों का विश्वास खो दिया है तो (प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सचिव नहीं) दो तिहाई बहुमत से स्थानीय निवासी वर्त्तमान प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति का गठन कर सकते है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नवगठित प्रबंध समिति का संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त नवगठित प्रबंध समिति को अनुमोदन प्रदान कर देगा। प्रबंध समिति द्वारा सरकार या बोर्ड के आदेशों की अवहेलना या किसी अनियमितता के लिए जाँचोपरांत प्रबंध समिति के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर सरकार अनुदान की राशि रोकने हेतु स्वतंत्र होगी।

7. मदरसा प्रबंध समिति के कार्य और शक्तियाँ ।–प्रबंध समिति के पास समय–समय पर जारी किये गये सभी अधिकार होगें, जो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किये गये हो। मदरसा के उचित प्रबंधन/प्रशासन एवं विकास के लिए सभी शक्तियों का उपयोग करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त प्रबंध समिति के निम्नलिखित कृत्य होगें :–

(i) ऐसा कोई चल या अचल सम्पत्ति जो मदरसा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, दान लेना क्रय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा सहायता राशि प्राप्त करना और मदरसा के लिए भवन निर्माण, निर्मित भवन का मरम्मती/जीर्णोधार करना या विकास कार्य पर खर्च करना तथा मदरसा की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।

(ii) मदरसा के प्रयोजनार्थ अनुदान, चन्दा और दान प्राप्त करना।

(iii) वैसे सभी धन, जो उसे अनुदान, दान और अन्य स्त्रोत से उपलब्ध हो उसका उचित लेखा एवं सुसंगत अभिलेख रखना, लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा मदरसा की लेखा संपरीक्षा कराना।

(iv) संबंधित मदरसा का बैंक खाता संचालन उसके सचिव/प्रधान मौलवी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(v) व्यय को उपलब्ध निधि के भीतर विनियमित कराना।

(vi) छात्रवृत्ति, पारितोषिक आदि के लिये सरकारी अनुदान के अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना।

(vii) छात्रावास की स्थापना, मदरसा के लिये क्रीड़ा भूमि, उपस्करों एवं पुस्तकालय की सम्यक व्यवस्था करना।

(viii) ऐसी उप समितियाँ गठित करना, जिन्हें वह छात्र/छात्राओं अथवा मदरसा के विकास हेतु आवश्यक समझे।

(ix) मदरसों की ओर से सभी वैधानिक कार्य करना और अनुचित आरोपों का प्रतिवाद करना।

(x) मदरसा में अनुशासन कायम रखना और शैक्षणिक स्तर के विकास के लिये हेड मौलवी को सलाह देना।

(xi) मदरसा में हेड मौलवी, शिक्षक वो शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, अवकाश, शिक्षक की प्रोन्नति के मामले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी मदरसा (मौलवी स्तर तक) के शिक्षक वो कर्मचारी के लिये सेवा शर्त्त नियमावली के आलोक में कार्य करना।

(xii) वैसे सभी कार्य जो मदरसा के हित में आवश्यक है।

8. मदरसा प्रबंधन समिति के सचिव के कार्य और शक्तियाँ ।—मदरसा प्रबंध समिति के सचिव में संबंधित मदरसा की कार्यकारी शक्तियां निहित होंगी। सचिव, अध्यक्ष की अनुमति के साथ कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देने के बाद मदरसा प्रबंध समिति की बैठक बुलायेगा। विशेष परिस्थिति में 3 दिन पूर्व की सूचना पर विचार करके विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। सचिव, समिति की सामान्य या विशेष बैठक मदरसा भवन में पूर्व निर्धारित तिथि और समय के साथ पूर्व सूचना देने के साथ आयोजित करेगा। सचिव नियमावली के नियमों के आलोक में हेड मौलवी से संबंधित विभिन्न प्रकार की छुट्टियों की स्वीकृति देगा। बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी सेवा शर्त्त नियमावली, 2022 के अन्तर्गत कार्य करेगा।

9. मदरसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष के अधिकार और शक्तियाँ :—

(1) प्रबंध समिति के अध्यक्ष मदरसा प्रबंध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यद्यपि वो सामान्य बैठक हो या विशेष बैठक।

(2) समिति की बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत होने पर अध्यक्ष अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करेगा, जो निर्णायक होगा।

(3) यदि सचिव समय से मदरसा प्रबंध समिति की बैठक नहीं बुलाता है और बैठक बुलाना आवश्यक है तो अध्यक्ष हेड मौलवी के परामर्श से बैठक बुला सकता है।

(4) प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक कार्यवाहक अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों में चुना जायेगा, जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

10. मदरसा प्रबंध समिति के आपसी विवाद का निपटारा।— किसी मदरसा में एक से अधिक प्रबंध समिति के आपसी विवाद की स्थिति में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष संबंधित मदरसा से शिकायत प्राप्त होने पर या उनके संज्ञान में आने पर सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए अधिकतम 60 (साथ) दिनों के अंदर नियमानुसार निर्णय लेंगे।

11. अपील ।— मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के विरूद्ध विक्षुब्ध पक्षकार अपीलीय प्राधिकार के समक्ष 30 (तीस) दिनों के अन्दर अपील दाखिल कर सकेगा तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त 90 (नब्बे) दिनों के अंदर अपील का निष्पादन किया जा जाएगा। अपील दायर करने की 30 (तीस) दिन की अवधि को अपीलीय प्राधिकार पर्याप्त आधार देने पर क्षांत कर सकेगा।

12. तदर्थ समिति का गठन ।— प्रबंध समिति के आपसी विवाद के दौरान मदरसा बोर्ड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित मदरसा के सफल संचालन हेतु तदर्थ समिति के गठन हेतु आवश्यक निदेश दे सकेगा।

13. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।**— राज्य सरकार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण अधिसूचना/आदेश द्वारा कर सकेगी। इस नियमावली के किसी भी प्रावधान में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

14. निरसन एवं व्योवृत्ति ।—

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से प्रबंध समिति से संबंधित पूर्व की सभी नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के तिथि के पूर्व प्रवृत्त सभी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई कार्रवाई मानी जायेगी मानो यह उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन वैसी कार्रवाई की गयी थी अथवा वैसा कुछ किया गया था।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज,
उप सचिव।

Education Department

Notification

The 19th April 2022

No- 10/व1–28/2016 न्यू (अंश)–396—In exercise of the powers conferred under Section 26 of Bihar State Madarsa Education Board Act, 1981(Bihar Act No.32, 1982), the Governor of Bihar has been pleased to make the following Rules for constitution of the Managing Committee of Madarsa which are as follows:-

1. ***Preamble.—***The State Govt. after due consideration has framed Bihar State Madarsa Education Board Rules for the purpose of constitution of Managing Committee of Recognised Aided Madarsas

2. Short title, extent and commencement.—

(i) These Rules may be called the **Bihar State Non-Government Recognised Aided Madarsa Managing Committee Constitution Rules, 2022**.

(ii) It shall extend to Non-Government Recognised Aided Madarsas (up to Moulvi Standard) to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

3. Definitions –*In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context –*

(i) ***'Government'*** means Government of Bihar;

(ii) ***'Department'*** means Education Department;

(iii) ***'Act'*** means Bihar State Madarsa Education Act, 1981;

(iv) ***'Appellate Authority'*** means the officer authorized by the Education Department to hear Appeal;

(v) ***'Director (Oriental)'*** means Special Director, Secondary Education incharge Sanskrit and Madarsa;

(vi) ***'Education officer of the District'*** means District Education Officer, District Programme Officer, Programme Officer, Block Education Officer;

(vii) ***'Board'*** means Bihar State Madarsa Education Board constituted under the Act, 1981;

(viii) ***'Chairman'*** means Chairman of the Bihar State Madarsa Education Board;

(ix) ***'Secretary'*** means Secretary of the Bihar State Madarsa Education Board;

(x) ***'Local People'*** means the residents (adult) of the ward in which the madarsa is situated;

(xi) ***'Recognition'*** means Non-Government Recognised Aided Madarsa (up to Moulvi Standard) from the Education Department, Government of Bihar, Patna;

(xii) ***'Madarsa'*** means Non-Government Recognized Aided Madarsa (up to Moulvi standard) from the Education Department, Government of Bihar, Patna;

(xiii) **'*Head Moulvi'*** means legally appointed / promoted Head Moulvi of Non-Government Recognised Aided Madarsa (up to Moulvi standard);

(xiv) ***'Assistant Teacher'*** means legally appointed Assistant Teacher of a Non-Government Recognised Aided Madarsa (up to Moulvi standard);

(xv) ***'Managing Committee'*** means Managing Committee of Non-Government Recognised Aided Madarsa (up to Moulvi standard) constituted under Madarsa Managing Committee Rules, 2022;

(xvi) ***'Non-Government Recognized Aided Madarsa (up to Moulvi standard)'*** means:-

(1) Non-Government Recognised Aided Madarsa– upto Tahtaniya standard (Class I to V)

(2) Non-Government Recognised Aided Madarsa– up to Wastaniya standard (Class I to VIII);

(3) Non-Government Recognised Aided Madarsa– up to Fauqania standard (Class I to X);

(4) Non-Government Recognised Aided Madarsa– up to Moulvi standard (Class I to XII);

(xvii) ***'Oriental language/learning'*** means.— Arabic, Persian, Hadith, Fiqh, Deeniyat, Mantiq-wa-Falsafa, Tarikh-E-Islam etc.

(xviii) ***'Modern Subject'*** means:-

(a) Science subject group

(b) Computer

(c) Social Studies (History, Geography, Civics etc)

4. ***Constitution of Managing Committee.—*** A Managing Committee shall be constituted by the local people/resident of the feeder area (Poshak Kshetra) for every Non-Govt. Recognized Aided Madarsa (Upto Moulvi standard) where the concerned Madarsa is located in which there will be following members:

(i) Head Moulvi;

(ii) One teacher representative nominated by the Head Moulvi who is senior amongst the teachers in the concerned Madarsa;

(iii) Two Donor members in which both of them should have been land donor or one of them must be land donor or other may have donor of at least 10,000/- (Rs. Ten thousand only) or any movable property of Rs. 10,000/- or any infrastructure of equipment of the said amount or above will be treated to be donor. Where there is more then two donors, the highest donor shall be selected in every three years on the basis of rotation and in case of the amount of donation and the date being equal in the event the donor member shall be selected by the lottery. Where there is no donor member, the said post shall remain vacant till the availability of donor member.

Donor/Donor members shall not be heritable, after the death of donor member his/her heir shall not be treated to be donor. If such heir wants to become donor member he will have to make donation and he will have to produce the proof to be included in the donor list. However, the heirs of land donor shall have legal heirship.

(iv) Two Guardian representative who are guardians of students who have been regular students for two years in the concerned Madarsa but they should not be relative of any teaching/Non-teaching staff/Headmaster/Head Moulvi/Secretary and President of the Managing Committee.

(v) Two members having keen interest in oriental language (i.e Arabic, Persian) Madarsa or Islamic study and whose minimum qualification is Fauquania or equivalent.

(vi) One nominated member by the Madarsa Board who will be education officer of the concerned district.

5. Procedure of constitution of Managing Committee: -

(1) The Head Moulvi/incharge Head Moulvi shall organize a meeting of newly constituted Managing Committee in the campus of concerned Madarsa. The meeting shall be headed by one of the member present in the meeting in which the president or Secretary of the Managing Committee shall be selected unanimously or by the majority votes. In this meeting there shall be presence of minimum 5 members. The Head Maulvi or Teacher representative cannot be selected for the post of Chairman or Secretary.

(2) The Head Moulvi / Head Moulvi in-charge (senior most teacher) shall send the list of officials and members of the newly constituted Madarsa Managing Committee to the Bihar State Madarsa Education Board for its approval. The Madarsa Board shall take appropriate decision on the proposal of approval of Managing Committee within 60 days from the date of receipt of such proposal and after expiry of the said period the newly constituted shall be deemed to have been approved. The newly constituted Managing Committee shall start functioning only after approval of the Board. If the Board did not approve the constitution of the Managing Committee and the Managing Committee starts its function, then the work done by the Managing Committee shall be deemed to be illegal.

6. Procedure of dissolution of the Managing Committee:-

(1) The tenure of the approved Managing Committee (after approval by the Board) shall be of three years. The Managing Committee constituted properly and approved by the Board shall not be dissolved before its tenure. A new Managing Committee shall be constituted after every three years.

(2) If the Managing Committee of the Madarsa does not work according to the provisions of the Rules or does not follow the instructions of the Government and having lost the confidence of the local people / residents of the area then the local people / residents (not the Board or Chairman/ Secretary), with the two third ($2/3^{rd}$) members present, of the said committee may dissolve it and constitute a new Managing Committee. The Bihar State Madarsa Education Board shall grant approval to those Managing Committee which proves the confidence of the local people / residents of the area after getting the matter enquired into either from the concerned District Education Officer or Inquiry Officer, nominated by the Chairman of the Bihar State

Madarsa Education Board. The State Govt. will have liberty to withhold the Grants-in-Aid in case the Managing Committee fails to implement the direction of the State Govt. or the Board or on the basis of proved charges of any sort of irregularity by the concerned Madarsa.

7. ***Functions and Powers of the Madarsa Managing Committee.—***The Managing Committee shall have all the powers under rules, orders and instructions issued, from time to time, by the Education Department of the State Government as well as Bihar State Madarsa Education Board and it shall exercise its all such powers which may be necessary for proper management, administration and development of the Madarsa. In addition to above, the Managing Committee shall have following functions :-

(i) To accept donation, to purchase or to take on lease any movable or immovable property, essential for the purpose of the Madarsa or otherwise raise money and utilize the same for construction of Madarsa building, renovation of the constructed building and other developmental works to protect the Madarsa properties;

(ii) To accept donation, subscription for the purposes of the Madarsa;

(iii) To keep proper books of accounts in respect of all such properties / money which are received through donations or from other sources for the Madarsa and prepare annual statement of the account and to get the same audited yearly.

(iv) To operate the Bank Accounts with the joint signature of the Secretary and Head Moulvi / Principal of the concerned Madarsa.

(v) To regularize the expenditure within the available fund;

(vi) To arrange money for scholarship, prize etc. in addition to Grants-in-Aid provided by the Govt.

(vii) To make proper arrangement for establishment of hostel, play ground furniture and library for the Madarsa;

(viii) To constitute such sub-committees which it may deem necessary for the development of students of the Madarsa;

(ix) To do all the statutory / legal / legitimate works on behalf of the Madarsa and to protest the improper allegations;

(x) To keep discipline in the Madarsa and to give proper advice to the Head Moulvi to enhance the educational standards of the Madarsa;

(xi) To make appointment of the Madarsa Head Moulvi / Principal, teachers and non-teaching staff, to grant leave, to give promotion to the teachers etc. in light of the Service Condition Notification, 2022 notified for the service conditions of the teachers of the Non-Government Recognised Aided Madarsas (up to Moulvi Standard) by the Education Department, Government of Bihar;

(xii) To do all such works which deem necessary in the interest of the Madarsa.

8. ***Functions and powers of the Secretary of the Madarsa Managing Committee.—*** The Secretary of the Managing Committee of the Madarsa will have all the executive powers. The Secretary of the Madarsa, shall advice the Managing Committee. The Secretary after seeking permission from the president of the Committee shall call for the meeting of Managing Committee for which he shall give at least 10 days prior notice. The Special meeting can be organized after due deliberation in special circumstances for which 3 days prior notice shall be given. The secretary shall organize the special or general meeting in the campus of Madarsa at a pre-scheduled time and date for which prior notice is required to be given. The secretary will have jurisdiction to sanction leave of Head Moulvi . The Secretary shall function under the provisions of Non-Govt. Recognized Aided Madarsa (Upto Moulvi standard) teaching & non-teaching employees Rules, 2022.

9. Powers and functions of the President of the Madarsa Managing Committee: -

(1) The President of the Managing Committee shall preside over all general/ special kinds meetings of the Madarsa Managing Committee.

(2) In case of having tie vote in any matter the President will have liberty to exercise his casting vote which would be decisive.

(3) If the Secretary does not convene the meeting of the Madarsa Managing Committee in time and if it appears to be essential to convene the meeting in the interest of the Madarsa, the President may convene the meeting in consultation with the Head Moulvi.

(4) In the absence of the President of the Managing Committee, an Acting President shall be elected amongst the members present in the meeting who will preside over the meeting.

10. ***Resolution of the rival disputes of Managing Committee of Madarsa: -*** In case of rival disputes of more than one Madarsa the Chairman of the Madarsa Board shall on receipt of complaint or in case of his cognizance he shall hear the respective parties after giving adequate opportunity of hearing and shall take appropriate decision within 60 days.

11. ***Appeal.—*** The party aggrieved from the decision of the Chairman of the Madarsa Board may prefer appeal before the Appellate Authority within 30 days from the date of the order and the Appellate Authority shall dispose of the said Appeal after hearing the respective parties within 90 (Ninety) days. The Appellate Authority may condone the delay in fling the appeal after 30 days in case of reasonable grounds.

12. ***Constitution of Ad-hoc Committee.—*** The Madarsa Board may direct to the District Education officer concerned to constitute Ad-hoc Managing Committee during the rival disputes of the Managing Committee for the successful running of the Madarsa concerned.

13. ***Power to remove difficulties.—*** The State Govt. may clarify any of the provisions of these Rules and will remove the difficulties in implementing the same. In case of any anomaly erupted in any provisions of the Rules the same would be rectified after obtaining concurrence from the Finance Department as well as General Administration Department.

14. Repeal and Savings : -

(i) From the date of commencement of these Rules, all previous Rules, Resolutions, Orders, and Instructions etc. relating to Managing Committee are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the previous Rules, Resolutions, Orders, instructions prior to commencement of these rules shall be deemed to be done or taken under these rules as if these Rules were in force on that day on which such thing was done or such action was taken.

By the Order of the Governor of Bihar,
Arshad Firoz,
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 243-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in